>

Title: Need to ensure proper response and action by public authorities to the correspondence made by Members of Parliament and Legislative Assemblies.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): संसदीय लोकतंत्र में प्रशासन एवं संसद सदस्यों के बीच कामकाज और शिष्टाचार के संबंध में समय-समय पर दिशानिर्देश जारी होते रहे हैं। वर्तमान में ऐसा देखने में आ रहा है कि कार्यपालिका इन दिशानिर्देशों की अनदेखी कर रही है।

संसद सदस्यों के पत्रों पर कार्यवाही से अवगत कराने की परंपरा, शिष्टाचार एवं बाध्यता को दरकिनार कर पत्रों की समय से न तो अभिस्वीकृति दी जाती है और न उत्तर के लिए संभावित समय की सूचना और न ही समय से उत्तर दिया जाता है। कभी-कभी तो उत्तर से अवगत ही नहीं कराया जा रहा है। यह स्थिति अत्यंत भयावह है। मान्य परंपराओं का निर्वहन नहीं होने से सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है तथा इसका प्रभाव जनहित के कार्यों पर पड़ रहा है।

कभी-कभी अत्यंत विषम परिस्थितियों में जनसाधारण से संबंधित मामलों के संबंध में पत्राचार के लिए सांसद को विवश होना पड़ता है। ऐसी दशा में दूसरी तरफ से किसी प्रकार के उत्तर से वंचित होने पर संबंधित जन समस्या का निराकरण संभव नहीं हो पाता है और वह विकराल हो जाता है।

मेरी मांग है कि सरकार सभी मंत्रालयों सहित जिला स्तरीय जिलाधिकारी एवं पुलिस प्रमुख को पुनः यह स्पष्ट करते हुए पत्राचार से अवगत करावें कि उन्हें संसद सदस्यों एवं विधायकों के साथ मिलते समय किस तरह का शिष्टाचार का निर्वहन करना चाहिए और उनके पत्राचार पर किस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिए।